संख्या– /XXIV-नवसृजित/18–32(01)/2013 TC-V

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित देहरादूनः दिनांक 22 नवम्बर, 2018

विषयः– **मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित पी0आई0एल0 याचिका संख्या–86/2013 कुलदीप सिंह रावत व अन्य के साथ विशेष अपील संख्या–66/2017 ललित सिंह बनाम आलोक परमार एवं अन्य में योजित मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन संख्या–501/2018 व अन्य विशेष अपील संख्या–98/2017 ललित मोहन एवं अन्य बनाम श्रीमती संगीता सांगा व अन्य एवं पी0आई0एल0 याचिका संख्या–95/2018 गोपाल दत्त एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 14.08.2018 के अनुपालन में प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ता पदों पर शिक्षण कार्य हेतु गैस्ट फैकल्टी की नियुक्ति/तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक, अपने पत्रांक/सेवायें–2/16198/शि0व्यव0/2018–19 दिनांक 31.08.2018 एवं पत्रांक/सेवायें–2/19368/गेस्ट टीचर/2018–19 दिनांक 27.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णयादेश दिनांक 14.08.2018 के अनुपालन में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 14.08.2018 के अनुपालन में प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ता पदों पर शिक्षण कार्य हेतु गैस्ट फैकल्टी की नियुक्ति/तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति/तैनाती निम्नांकित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैः–

(1) प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों के सापेक्ष 4200 एवं सहायक अध्यापक एल0टी0 के रिक्त पदों के सापेक्ष 834 गेस्ट फैकल्टी की तैनाती की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। अभ्यर्थी जिस जनपद में शिक्षण कार्य हेतु इच्छुक हों, उनके द्वारा वरीयता क्रम में जनपदों का विकल्प अंकित किया जायेगा, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा जनपदों हेतु दिए गये विकल्पों में से मैरिट के आधार पर वरीयता क्रम में एक ही जनपद आवंटित किया जायेगा।

(3) महिला शाखा के विद्यालयों में केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगें।

(4) आवेदनकर्ताओं का उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।

क्रमशः–2

Scanned by CamScanner

(5) उक्त व्यवस्था के लिए अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु, निर्धारित पदों हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमों/ नियमावली के अनुसार होगी।

(6) ऐसे अभ्यर्थी ही शिक्षण कार्य हेतु रखे जा सकेंगे जो निर्धारित पदों हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमों/ नियमावली के अनुसार शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताधारी हों।

(7) जनपदों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु साफ्टवेयर तैयार करवाने, ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया, जनपद की रिक्तियों के अनुरूप मैरिट/विकल्प के आधार पर सूचियां व आवेदन का विषयवार विवरण सम्बन्धित जनपदों को प्रेषित किए जाने विषयक कार्यवाही हेतु निदेशालय स्तर पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में **प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट** गठित की जायेगी। गठित समिति के नोंडल अधिकारी अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के 02 उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगें।

(8) जनपद स्तर पर गेस्ट फैकल्टी की तैनाती हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नांकित समिति गठित की जाएगी। उक्त समिति, **प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट** द्वारा जनपदवार चयनित गैस्ट फैकल्टी की उपलब्ध करायी गई सूची के आधार पर उक्त अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन करते हुए विद्यालय का नियमानुसार आवंटन करेगी :–

(1) जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
(2) मुख्य शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
(3) प्राचार्य डायट	–	सदस्य
(4) जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)	–	सदस्य

समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोई सदस्य न होने पर जिलाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति का कोई अधिकारी नामित किया जाएगा, जो कि न्यूनतम समूह "क" स्तर का हो। अभ्यर्थियों का चयन निम्नांकित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा :–

क्रं0 सं0	पद	टी0ई0टी0 II / सी0टी0ई0 टी0 II	स्नातक के गुणांक	स्नातकोत्तर के गुणांक	अनिवार्य प्रशिक्षण (बी0एड0/एल0टी0/ बी0पी0एड0/अन्य जैसी स्थिति हो)		शिक्षण अनुभव के गुणांक	योग
					लिखित	प्रयोगात्मक		
1	एल0 टी0	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 10	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 10	–	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 20	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 20	1 माह– 1 अंक एक शैक्षिक सत्र– 4 अंक (अधिकतम) एक शैक्षिक सत्र से अधिक शैक्षिक सत्रों की सेवा हेतु उक्तानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जायेंगे, शिक्षण अनुभव के अधिकतम 12 अंक देय होंगे।	

Scanned by CamScanner

2	प्रवक्ता	–	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 10	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 10	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 20	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 20	1 माह– 1 अंक एक शैक्षिक सत्र– 4 अंक (अधिकतम) एक शैक्षिक सत्र से अधिक शैक्षिक सत्रों की सेवा हेतु उक्तानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जायेंगे, शिक्षण अनुभव के अधिकतम 12 अंक देय होंगे।	

(9) अभ्यर्थी द्वारा किसी माह में 15 दिन से अधिक शिक्षण कार्य किए जाने पर एक माह के समतुल्य शिक्षण अनुभव के अंक प्रदान किए जायेंगे, 15 दिन से कम की अवधि में कोई अंक देय नहीं होंगें।

(10) मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में पूर्व में कार्यरत गेस्ट टीचर को वरीयता अंक प्रदान किए जाने के दृष्टिगत शिक्षण अनुभव के गुणांक ऐसे अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा जो पूर्व में प्रचलित शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुसार पूर्व में राज्य के किसी राजकीय विद्यालय में गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्त रहे हों। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। एल0टी0 के पद हेतु शिक्षण अनुभव के गुणांक ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा जो नियमानुसार कक्षा–9 एवं 10 के लिए शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त रहें हों तथा प्रवक्ता पद हेतु शिक्षण अनुभव के गुणांक ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा जो नियमानुसार कक्षा–11 एवं 12 के लिए शिक्षण हेतु नियुक्त रहे हों।

(11) अभ्यर्थियों के द्वारा किए गये ऑनलाईन आवेदन के आधार पर प्राप्त मैरिट सूची का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान किए जाने के उपरान्त ही सही पाये जाने पर जनपद स्तर से सम्बन्धित अभ्यर्थी को विद्यालय आंवटित किया जायेगा। जनपद स्तर पर चयन में प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षण कार्य हेतु अनुबन्धित किया जायेगा। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख, विद्यालय एवं जनपद स्तर पर सुरक्षित रखे जायेंगें।

(12) उक्तानुसार शिक्षण कार्य हेतु रखे गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से अनुमन्य होगा तथा प्रतिमाह 01 दिन की दर से आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा। कार्य किए जाने की अवधि का ही वेतन अनुमन्य होगा।

(13) समस्त जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर के प्रवक्ता संवर्ग (सामान्य/महिला शाखा) एवं स0अ0एल0टी0 संवर्ग (सामान्य/महिला शाखा) की समस्त रिक्त पदों की सूची, जिनमें गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता है, का विवरण गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, निदेशालय को उपलब्ध करायेंगें। प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट स्तर से जनपदवार रिक्त पदों का विवरण एवं आवश्यक निर्देश विभागीय वैबसाइट पर अपलोड़ किए जायेंगें। यथा सम्भव न्यूनतम 02 दैनिक समाचार पत्र में यह सूचना प्रसारित की जायेगी कि इच्छुक अभ्यर्थी रिक्ति के सापेक्ष निर्धारित अवधि के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी हेतु

क्रमशः–4

Scanned by CamScanner

ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन के लिए **10 दिन** का समय प्रदान किया जाएगा।

(14) ऐसे अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से प्रथम बैच से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अथवा उससे पूर्व जैसी भी स्थिति हो, तक के लिए शिक्षण कार्य हेतु रखे जा सकेंगें। निर्धारित अवधि से पूर्व यदि किसी अभ्यर्थी का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो सम्बन्धित प्रधानाचार्य की संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उसे शिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।

(15) उक्तानुसार शिक्षण कार्य हेतु रखे गये अभ्यर्थियों का नियमित नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा तथा इस संबंध में उन्हें रू0 100/–के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र जो कि ओथ कमिश्नर द्वारा निर्गत हो, प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा।

(16) शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक निर्गत हों, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हों।

(17) यदि किसी अभ्यर्थी का कोई भी शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव/जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसका अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक वाद योजित किया जायेगा।

(18) अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं मैरिट तैयार किए जाने हेतु सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं एन0आई0सी0 से भी सहयोग लिया जाय।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय आदेश संख्या–49(म0)XXVII(3)/18–19, दिनांक 23.10.2018 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या– 1027/XXIV–नवसृजित/2018–32(01)/2013 TC-V तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
6. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल को मा0 न्यायालय के संज्ञानार्थ।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव

Scanned by CamScanner